न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 12/2020

1.जनकसिंह पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर नि0 भोपर शाहपुर तहसील महवा जिला दौसा।
... अपीलांट

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार,तहसील महवा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार महवा दिनांक 31.12.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम जनकसिंह मु0नं0 72/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित : 1. श्री मानसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 28.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा ने दिनांक 31.12.2019 को ग्राम जगरामपुरा तहसील महवा के खसरा नं0 98 रकबा 0.98 है0 मे से रकबा 0.24 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा आरोपित कर दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पूर्ववर्ती अतिक्रमण का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होते हुए भी सिविल कारावास जैसा कठोरतम आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर नही दिया गया। पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 98 रकबा 0.24 है0 किस्म चरागाह भूमि पर सरसों बुआई कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त गाजीपुर के हस्ताक्षर भी अंकित है जो पत्रावली मे संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा